न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 27/2025

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर।
–आवेदक

बनाम

1. श्री सौरभ कुमार सैन पुत्र श्री गणेशी लाल सैन, उम्र 24 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता) मैसर्स न्यू शोपर्स खजाना, पुराना बस स्टैण्ड, बहरोड, जिला कोटपुतली–बहरोड निवासी–चौपाल के पास, रिवाली, तह० बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड।

2. श्री आशुतोष पुत्र श्री पतराम, (मालिक) मैसर्स–न्यू शोपर्स खजाना, पुराना बस स्टैण्ड, बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड निवासी अकोली, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।
– अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2)(ii), 26(2)(V), 26(2)(V)/धारा 51, 58 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 28-4-26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री केशव कुमार गोयल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.06.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 54 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रणं, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 2714दि01.09.2022 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2(क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

2. यह है कि श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राज, जयपुर के आदेश क्रमांक 3210/11.08.2023 के द्वारा नवसृजित जिलो में अभिहित अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदो की स्वीकृति एवं पदस्थापन आदेश होने तक खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण/निरीक्षण, लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन एवं एफएसएसए एक्ट से संबंधित समस्त कार्य पूर्व की भांति करने के आदेश प्रदान किए है। उक्त आदेश की छायाप्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
3. यह है कि दिनांक 14.06.2024 को बाददोपहर 3:00 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स न्यू शोपर्स खजाना, पुराना बस स्टैण्ड, बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित रिटेल स्टोर/खाद्य कारोबार स्थल पर पहुँचा। उक्त समय उक्त स्थल पर श्री सौरभ कुमार सैन पुत्र श्री गणेशी लाल सैन स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ आमजन को बिक्री कर रहे थे। मैंने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री हेमन्त कुमार एवं श्री जयसिंह यादव की उपस्थिति में विक्रेता ने अपना नाम श्री सौरभ कुमार सैन पुत्र श्री गणेशी लाल सैन, उम्र 24 वर्ष, निवासी–चौपाल के पास, रिवाली, तह० बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड का होना बताया एवं उक्त फर्म का मालिक अ० सं०–2 श्री आशुतोष पुत्र श्री पतराम, (मालिक) मैसर्स न्यू शोपर्स खजाना, पुराना बस स्टैण्ड, बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड निवासी अकोली, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा को होना बताया एवं मौके पर विकेता ने अपने एवं खाद्य कारोबार मालिक के आधार कार्ड एवं उक्त फर्म के जीएसटी पंजीयन की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन नहीं होना जाहिर किया।
4. यह है कि उक्त रिटेल स्टोर/खाद्य कारोबार स्थल का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त रिटेल स्टोर/खाद्य कारोबार स्थल की रैक में 500 मिली. वजनी पैकिंग के 28 मूल सीलड पैक घी (नेचुरल बटर ब्रांड) के आमजन को बिक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री हेमन्त कुमार एवं श्री जयसिंह यादव की उपस्थिति में विक्रेता श्री सौरभकुमार सैन को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त में से 4 मूल सीलड पैक घी (नेचुरल बटर ब्रांड) वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 1044/– (अक्षरे एक हजार चवालिस रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 500 मिली. वजनी पैकिंग के 4 मूल सीलड पैक घी (नेचुरल बटर ब्रांड) के प्रत्येक पैक पर, लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक पैक पर चिपकाकर

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रत्येक पैक को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक पैकेट पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. बी–11943 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों पैकेटों पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

6. यह है कि उक्त घी (नेचुरल बटर ब्रांड) का नमूना लिये जाने के पश्चात् शेष बचे 500 मिली. वजनी पैकिंग के 24 मूल सील्ड पैक घी (नेचुरल बटर ब्रांड) को गत्ते के एक कार्टन में सील बन्द कर विक्रेता श्री सौरभ कुमार सैन की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया। मौके पर अभिग्रहण आदेश प्रारूप–3 व अभिग्रहण ज्ञापन प्रारूप–2 भरकर उनपर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाये व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। अभिग्रहण आदेश प्रारूप–3 व अभिग्रहण ज्ञापन प्रारूप–2 न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने का एक सील्ड पैकेट मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि नमूने के दो सील्ड पैकेट (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने का एक सील्ड पैकेट (चतुर्थ भाग)मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त धी (नेचुरल बटर ब्रांड) के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 641 दिनांक 23.07.2024 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ एवं बाहरी वसा की उपस्थिति के कारण एफएसएसए विकय प्रतिषेध एवं निबंधन रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7 (2) के उल्लंघन युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard Food & Contravention regulation No- 2.3.7(2) of FS&S (Prohibbition & Restriction on sale) Regulation 2011 due to Presence of Foreign fat) होना पाया गया है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

11. यह है कि रजिस्टर्ड पत्रांक 607/21.07.2024 एवं 827/20.09.2024 द्वारा उक्त फर्म मैसर्स–न्यू शोपर्स खजाना, पुराना बस स्टैण्ड, बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड से नमूना खाद्य पदार्थ घी (नेचुरल बटर ब्रांड) के अन्य फर्म से माल खरीद बिल की जानकारी चाहने पर उन्होने कोई जानकारी नहीं दी। उक्त पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

12. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्र के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है ।

13. यह है कि उक्त खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ एवं बाहरी वसा की उपस्थिति के कारण एफएसएसए विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.1.1(3) एवं 2.3.7 के उल्लंघन युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard Food & Contravention regulation No- 2.1.1(3) and 2.3.7 of FS&S (Prohibbition & Restriction on sale) Regulation 2011 due to Presence of Foreign fat) घी (नेचुरल बटर ब्रांड) की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii), 26 (2) (v) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में वर्णित है।

14. यह है कि उक्त खाद्य कारोबारकर्ता बिना खाद्य पंजीयन खाद्य पदार्थ घी (नेचुरल बटर ब्रांड) का विक्रय हेतु प्रदर्शित/विक्रय करते हुए पाया गया जो एफएसएसए 2006 की धारा 31 (ii) के तहत आवश्यक है अतः उक्त खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2)(v) का उल्लंघन किया गया है जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तों को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।

15. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान की तल्बी हेतु रजिस्डर्ड नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित आकर जबाब पेश किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 14.06.24 को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से घी (नेचुरल बटर ब्रांड) पैक ऑफ 500 एमएल का सैंपल लिया गया था। उक्त उत्पाद मेरी दुकान पर सीलबंद पैकिंग में उपलब्ध था, जिसे मैंने स्वयं किसी अधिकृत सप्लायर/डिस्ट्रीब्यूटर से विधिवत/बिल के माध्यम से खरीदा था। इस उत्पाद का निर्माण Deransh products Hisar Haryana द्वारा किया गया था। मैं केवल एक खुदरा विक्रेता हूँ और उत्पाद की

...ाति... ...कटर
...(कोटपूतली-बहरोड़)

निर्माण प्रक्रिया, सामग्री अथवा क्वालिटी पर मेरा कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। यदि उत्पाद की गुणवत्ता में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निर्माता/सप्लायर की होती है। इसलिए मेरे द्वारा किसी प्रकार की मिलावट या मानक उल्लंघन नही किया गया है कृप्या इस बिंदु को ध्यान मे रखते हुये मुझे इस प्रकरण से दोषमुक्त माना जाए। जबाब पेश करने के बाद अप्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

16. पैरोकार सरकार खाद्य की एकल बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अवमानक खाद्य पदार्थ एवं बाहरी वसा की उपस्थिति के कारण एफएसएसए विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.1.1(3) एवं 2.3.7 के उल्लंघन युक्त खाद्य पदार्थ घी (नेचुरल बटर ब्रांड) की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii), 26 (2) (v) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के अन्य फर्म से माल खरीद बिल की जानकारी चाही जाने पर कोई जानकारी उपलब्ध नही कराई गई इसलिए अप्रार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में दण्डित किया जावें।

17. पत्रावली एवं प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक, जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार, उक्त घी का नमूना अवमानक पाया गया एवं इसमें बाहरी वसा की उपस्थिति पाई गई, जो FS&S (विक्रय प्रतिषेध एवं निबंधन) रेगुलेशन 2011 के विनियम 2.3.7(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, विक्रेता मौके पर खाद्य लाइसेंस/पंजीयन प्रस्तुत करने में विफल रहा। अप्रार्थीगण के लिखित जवाब अनुसार अप्रार्थी मात्र खुदरा विक्रेता हैं और उन्होंने माल, बिल के माध्यम से खरीदा था, अतः गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माता की है। हालांकि, बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अप्रार्थीगण न तो बहस हेतु उपस्थित हुए और न ही माल खरीद का कोई वैध बिल या निर्माता का विवरण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। फलस्वरूप, उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयानों से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा मानव उपभोग हेतु अवमानक घी का विक्रय किया जा रहा था। विक्रेता द्वारा बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करना भी अधिनियम की अवहेलना है। अतः उक्त कृत्य के लिए अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51, 58 के अंतर्गत दोषी पाये जोन पर दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री सौरभ कुमार सैन पुत्र श्री गणेशी लाल सैन, उम्र 24 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता) मैसर्स न्यू शोपर्स खजाना, पुराना बस स्टैण्ड, बहरोड, जिला कोटपुतली-बहरोडनिवासी-चौपाल के पास, रिवाली, तह० बहरोड, जिला कोटपूतली-बहरोड एवं श्री आशुतोष पुत्र श्री पतराम, (मालिक) मैसर्स-न्यू शोपर्स

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

खजाना, पुराना बस स्टैण्ड, बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड निवासी अकोली, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा पर 50000/- पचास हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 28.4.26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अति. निर्णायक अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली